बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक 20. 08. 2007

संख्या–3/एम०–166/2006–का०–2797/भारत–संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाती है–

बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007

1 **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2\. **"बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 का प्रतिस्थापन।**– उक्त नियमावली के नियम–14 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा–

"**14, लघु एवं वृहत् शास्तियाँ।**– समुचित और यथेष्ट कारणों से तथा इसमें इसके बाद यथाउपबंधित, निम्नलिखित शास्तियाँ, सरकारी सेवक पर अधिरोपित की जा सकेंगी, यथा :–

लघु शास्तियाँ –

(i) निन्दन;

(ii) प्रोन्नति रोकना;

(iii) लापरवाही या आदेशोल्लघंन के कारण सरकार को उसके द्वारा पहुँचायी गयी किसी वित्तीय हानि की उसके वेतन से पूरी या आंशिक वसूली;

(iv) तीन वर्षों से अनधिक अवधि के लिये, संचयी प्रभाव के बिना कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;

(v) संचयी प्रभाव के बिना वेतनवृद्धियों को रोकना;

वृहत शास्तियाँ–

(vi) संचयी प्रभाव के साथ वेतनवृद्धियों को रोकना;

(vii) इस नियम के खंड (iv) में यथा उपबंधित के सिवाय, कालमान वेतन में निम्नतर प्रक्रम पर किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिये अवनति, इन निर्देशों के साथ कि ऐसी अवनति की अवधि के दौरान सरकारी सेवक वेतनवृद्धियाँ अर्जित करेगा या नहीं तथा ऐसी अवधि की समाप्ति के बाद उक्त अवनति का प्रभाव उसकी भावी वेतनवृद्धियों को स्थगित रखने पर होगा या नहीं;

(viii) निम्नतर कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में अवनति, जो सामान्यतया सरकारी सेवक को उस कालमान वेतन, कोटि, पद या सेवा में जिससे वह अवनत किया गया हो, प्रोन्नति के लिये उस कोटि या पद या सेवा में जिससे सरकारी सेवक अवनत किया गया हो, प्रत्यावर्तन की शर्त्तों तथा उस कोटि, पद या सेवा में ऐसे प्रत्यावर्तन के फलस्वरूप उसकी वरीयता एवं वेतन के संबंध में दिये जानेवाले अगले निदेशों के साथ या के बिना, अवरोधक होगा;

(ix) अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(x) सेवाच्युति, जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता नहीं होगी;

(xi) सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिये निरर्हता होगी;

परन्तु ऐसे हरेक मामले में जिसमें किसी पदीय कार्य करने या से प्रविरत करने के लिये हेतु या पुरस्कार के रूप में किसी व्यक्ति से, वैध पारिश्रमिक से भिन्न, कोई परितोषण स्वीकार किया जाना सिद्ध हो जाय, खंड (x) या खंड (xi) में उल्लेखित शास्ति अधिरोपित की जायेगी;

परन्तु और कि किसी आपवादिक मामले में तथा लिखित रूप में अभिलिखित किये जानेवाले विशेष कारणों से कोई अन्य शास्ति अधिरोपित की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण – इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित को शास्ति नहीं माना जायेगा, यथा –

(i) किसी सरकारी सेवक की, जिस सेवा में वह है या जो पद वह धारण करता है उसे शासित करनेवाले नियमों या आदेशों या उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों के अनुसार किसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर, वेतन–वृद्धि रोक रखना;

(ii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति रोक देना ;

(iii) किसी सरकारी सेवक की, चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न हैसियत में हो, किसी सेवा, कोटि या पद, जिसके लिये वह पात्र हो, के लिये उसके मामले पर विचारोपरान्त, प्रोन्नति नहीं मिलना ;

(iv) उच्चतर सेवा, कोटि या पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत किसी सरकारी सेवक का, उसके आचरण से अनजुड़े किसी प्रशासनिक आधार पर निम्नतर सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;

(v) परिवीक्षा पर किसी अन्य सेवा, कोटि या पद पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक का, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, परिवीक्षा अवधि की समाप्ति या उसके दौरान उसकी स्थायी सेवा, कोटि या पद पर प्रतिवर्तन;

(vi) किसी सरकारी सेवक की सेवा का, जिसकी सेवाएँ किसी राज्य सरकार से या किसी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन के किसी प्राधिकार से उधार ली गयी हो, उस राज्य सरकार या उस प्राधिकार में प्रतिस्थापन, जिससे ऐसे सरकारी सेवक की सेवा उधार ली गयी थी;

(vii) अधिवार्षिकी या सेवानिवृत्ति से संबंधित बिहार सेवा संहिता के नियम–74 के उपबंधों के अनुसार किसी सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति;

(viii) सेवा–समाप्ति –

(क) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी सरकारी सेवक की, उसकी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, उसकी नियुक्ति के निर्बंधनों और शर्त्तों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करनेवाले नियमों एवं आदेशों के अनुसार, अथवा

(ख) करार के अधीन नियोजित किसी सरकारी सेवक की, ऐसे करार के निर्बंधनों और शर्त्तों के अनुसार।"

3. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–16 में संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–16 के उप–नियम (2) में प्रयुक्त शब्द–समूहों "नियम–14 के खंड (vi) से (x)" को शब्द–समूहों "नियम–14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम– 17 में संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–17 के उप–नियम (1) एवं (21) में जहाँ–जहाँ शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (x)" प्रयुक्त हुए हैं वहाँ–वहाँ उन्हें शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

5. **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 में संशोधन।–** उक्त नियमावली के नियम–18 के उप नियम (6) में प्रयुक्त शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (x)" को शब्द–समूह "नियम–14 के खंड (vi) से (xi)" द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 2797 पटना, दिनांक 20.08.2007

प्रतिलिपि– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 2797 पटना, दिनांक 20.08.2007

प्रतिलिपि– सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आमिर सुबहानी
सरकार के सचिव

बिहार सरकार

कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग

<u>अधिसूचना</u>

पटना, 20. 08. 2007

संख्या–3/एम०–166/2006–का०–2798 / अधिसूचना सं० 2797 दिनांक 20.08.07 के तहत निर्गत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली, 2007 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–166/2006 का०– 2798

पटना, दिनांक 20.08.07

प्रतिलिपि–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

आमिर सुबहानी

सरकार के सचिव

GOVERNMENT OF BIHAR

PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

<u>NOTIFICATION</u>

Patna, Dated 20.08.2007

No. 3/M-166/2006-Ka-2797/ In exercise of the powers conferred by the proviso to the article 309 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to make the following Rules to amend the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005—

BIHAR GOVERNMENT SERVANTS (CLASSIFICATION, CONTROL & APPEAL)

(Amendment) RULES, 2007

1. **Short title, extent and commencement.**— (1) These Rules may be called the "Bihar Government Servants (Classification, Control and Appeal) (Amendment) Rules, 2007.

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come into force at once.

2. **Substitution of rule 14 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.**— Rule 14 of the said Rules shall be substituted by the following -

   "**14. Minor and Major Penalties.**— The following penalties may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed on a government servant, namely :-

   Minor Penalties :-

   (i) censure;

   (ii) withholding of promotion;

   (iii) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by him to the Government

by negligence or breach of orders ;

(iv) reduction to a lower stage in the time-scale of pay for a period not exceeding three years, without cumulative effect;

(v) withholding of increments of pay without cumulative effect;

Major Penalties :-

(vi) withholding of increments of pay with cumulative effect;

(vii) save as provided for in clause (iv), reduction to a lower stage in time-scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the government servant will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;

(viii) reduction to a lower time-scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the government servant to the time-scale of pay, grade, post or service from which he or she was reduced, with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the government servant was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service;

(ix) compulsory retirement;

(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;

(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government :

Provided that, in every case in which the charge of acceptance from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or forbearing to do any official act is established, the penalty mentioned in clause (x) or clause (xi) shall be imposed;

Provided further that in any exceptional case and for special reasons to be recorded in writing, any other penalty may be imposed.

EXPLANATION - The following shall not amount to a penalty within the meaning of this rule, namely-

(i) withholding of increments of pay of a government servant for his failure to pass any departmental examination in accordance with the Rules or orders governing the service to which he belongs or post which he holds or the terms of his appointment;

(ii) withholding of promotion of a government servant after consideration of his case to a service, grade or post for which he is eligible, whether he is in a substantive or in officiating capacity.

(iii) non-promotion of a government servant, whether in a substantive or officiating capacity, after consideration of his case, to a service, grade or post for promotion to which he is eligible;

(iv) reversion of a government servant officiating in a higher service, grade, or post to a lower service, grade or post or on any administrative ground unconnected with his conduct;

(v) reversion of a government servant, appointed on probation to any other service, grade or post to his permanent service, grade or post during or at the end of the period of probation in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and order governing such probation ;

(vi) *replacement of the services of a government servant, whose services had been borrowed from a State Government or an authority under the control of a State Government, at the disposal of the State Government or the authority from which the services of such government servant had been borrowed.*

(vii) *compulsory retirement of a government servant in accordance with the provisions relating to superannuation or retirement under rule 74 of the Bihar Service Code;*

(viii) *termination of the service -*

(a) *of a government servant appointed on probation, during or at the end of the period of his probation, in accordance with the terms and conditions of his appointment or the Rules and orders governing such probation; or*

(b) *of a government servant, employed under an agreement, in accordance with the terms of such agreement."*

3. **Amendment in rule-16 of the Bihar Government Servants (Classification, Control &Appeal) Rules, 2005.**— In sub-rule (2) of rule-16, the groups of words "clauses (vi) to (x) of rule 14" shall be substituted by the groups of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14".

4. **Amendment in rule 17 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.**— In sub-rule (1) and (21) of rule 17 wherever the group of words "clauses (vi) to (x) of rule14" is used, shall be substituted by the group of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14".

5. **Amendment in rule 18 of the Bihar Government Servants (Classification, Control & Appeal) Rules, 2005.**— The group of words "clauses (vi) to (x) of rule 14" used in sub-rule (6) of rule 18 shall be substituted by the group of words "clauses (vi) to (xi) of rule 14".

By the order of Governor of Bihar,

Amir Subhani

Secretary to Government

[25 (3)]

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक 24 जून, 2008

संख्या–3/एम–166/2006–का0–4033 / भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**– (1) यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2008 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत होगी।